

अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी) - क्रेडिट कार्ड

ए. शुल्क एवं प्रभार

प्रवेश / ज्वाइनिंग शुल्क एवं वार्षिक शुल्क:

- कार्ड के सक्रिय होने पर कार्डधारकों से लिया जाने वाला प्रवेश / ज्वाइनिंग शुल्क एकबारगी शुल्क है और यह अलग-अलग कार्ड वेरिएंट हेतु अलग-अलग हो सकता है।
- वार्षिक शुल्क, कार्ड के दूसरे वर्ष की शुरुआत में अग्रिम रूप से लिया जाने वाला शुल्क है।
- ज्वाइनिंग शुल्क और वार्षिक शुल्क, दोनों निम्नलिखित सारणी अनुसार प्राथमिक कार्डधारकों के क्रेडिट कार्ड खाते में प्रभारित किए जाएंगे और जिस माह में इसे प्रभारित किया गया है, उस माह के मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में प्रदर्शित होगा।
- भुगतान किए गए शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।

कार्ड वेरिएंट	प्रवेश / ज्वाइनिंग शुल्क		वार्षिक शुल्क	
	प्राथमिक	ऐड ऑन	प्राथमिक	ऐड ऑन
वीज़ा गोल्ड	शून्य	शून्य	रु. 299/-	रु. 199/-
वीज़ा प्लेटिनम	शून्य	शून्य	रु. 399/-	रु. 299/-
वीज़ा सिग्नेचर	शून्य	शून्य	रु. 1999/-	रु. 999/-
रुपे प्लेटिनम	शून्य	शून्य	रु. 299/-	रु. 199/-
रुपे सेलेक्ट	शून्य	शून्य	रु. 499/-	रु. 399/-
यूनियन यूनो-कार्बन	रु. 499/-	शून्य	रु. 499/-	रु. 199/-
जेसीबी वेलनेस	रु. 999/-	लागू नहीं	रु. 999/-	लागू नहीं
जेसीबी हेल्थ	रु. 499/-	लागू नहीं	रु. 499/-	लागू नहीं
यूनियन एमएसएमई	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
वीज़ा बिजनेस प्लेटिनम कॉर्पोरेट कार्ड्स	रु. 1,500/-	लागू नहीं	रु. 2,000/-	लागू नहीं



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

यदि पिछले वर्ष में उल्लिखित सारणी अनुसार उपयोग किया जाता है तो वार्षिक शुल्क माफ कर दिया जाएगा	वीज़ा गोल्ड/ रुपये प्लेटिनम	रु. 30,000/-
	वीज़ा प्लेटिनम/ रुपये सेलेक्ट/ जेसीबी हेल्थ	रु. 50,000/-
	यूनियन यूनी-कार्डन/ जेसीबी वेलनेस	रु. 1,00,000/-
	वीज़ा सिग्नेचर	रु. 2,70,000/-

नकद अग्रिम (आहरण) शुल्क

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड धारकों को आहरण सीमा के मद क्र. बी में उल्लिखित निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी बैंक एटीएम से नकदी आहरण की सुविधा प्रदान की गई है।
- सभी नकद अग्रिमों पर आहरण/अग्रिम की तारीख से 2.5% प्रति माह की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है।
- इस सुविधा का लाभ उठाने पर कार्डधारक से निम्नलिखित सारणी के अनुसार नकद अग्रिम शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

अपने बैंक के एटीएम से नकद आहरण	न्यूनतम रु. 200/- या नकद अग्रिम का 3%, जो भी अधिक हो
अन्य बैंक के एटीएम से नकद आहरण	न्यूनतम रु. 200/- या नकद अग्रिम का 3%, जो भी अधिक हो



कार्ड प्रतिस्थापन प्रभार	वीज़ा गोल्ड/ रुपये प्लेटिनम/ यूनियन यूनी-कार्बन/ जेसीबी वेलनेस/ जेसीबी हेल्थ	रु. 149/-
	वीज़ा प्लेटिनम/ रुपये सेलेक्ट/ यूनियन एमएसएमई	रु. 249/-
	वीज़ा सिग्रेचर	रु. 299/-
लॉस्ट कार्ड प्रभार	शून्य	
चार्ज स्लिप अनुरोध प्रभार	रु. 200/-	
अस्थायी वृद्धि (यूनियन एमएसएमई के लिए लागू नहीं)	रु. 200/- प्रत्येक लेनदेन पर	
हॉट लिस्टिंग प्रभार	शून्य	
हॉट लिस्टिंग प्रभार यदि न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का भुगतान नहीं किया जाता है	रु. 200/-	
शेष राशि पूछताछ प्रभार	यूनियन बैंक एटीएम पर - शून्य अन्य बैंक एटीएम पर - रु. 20/-	
ग्रीन पिन प्रभार	शून्य	
चेक वापसी प्रभार	रु. 250/-	
ओवर लिमिट प्रभार	ओवर लिमिट राशि का 2.5%, न्यूनतम रु. 250/-	
विदेशी मुद्रा मार्कअप शुल्क	3%	
ईंधन अधिभार छूट	ए. प्रति माह 1% या रु. 100/- तक (यूनियन यूनी-कार्बन कार्ड को छोड़कर) बी. यूनियन यूनी-कार्बन कार्ड हेतु एचपीसीएल आउटलेट्स पर रु. 200/- और उससे अधिक के लेनदेन मूल्य पर प्रति बिलिंग में 1% या रु. 100/- तक छूट दिया जाएगा	
रेलवे में लेनदेन प्रभार	1.5% + आईआरसीटीसी प्रभार	



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

विलंब भुगतान प्रभार	ए. रु. 25000/- तक बकाया देय राशि हेतु रु. 200/- बी. रु. 25,000/- से अधिक बकाया देय राशि हेतु रु. 500/-
3 माह से अधिक का विवरण	रु. 50/- प्रति विवरण

ईएमआई सुविधा

आभूषण की खरीद, एटीएम के माध्यम से नकद आहरण और पीओएस पर नकद, पेट्रोल पंप पर ईंधन की खरीद और बार में किए जाने वाले लेनदेन को छोड़कर कार्डधारक रु. 5,000/- और उससे अधिक राशि के सभी व्यापारिक लेन-देन पर ईएमआई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ 3/6/9/12 माह हेतु लिया जा सकता है। इस सुविधा पर प्रभार निम्नानुसार प्रभारित किए जाएंगे।

ब्याज दर	घटते शेष पर 16% प्रति वर्ष
प्रसंस्करण शुल्क	2% या न्यूनतम रु. 200/- और अधिकतम रु. 1000/-
प्री-क्लोज़र प्रभार	बकाया राशि का 2%

उपरोक्त सभी शुल्क और प्रभार जीएसटी को छोड़कर हैं।

उपरोक्त प्रभार परिवर्तन के अधीन हैं। नवीनतम प्रभारों हेतु, कृपया हमारी वेबसाइट <https://unioncards.unionbankofindia.co.in/> देखें।

ब्याज-मुक्त (ग्रेस) अवधि:

ब्याज-मुक्त ऋण अवधि 20 से 50 दिनों तक हो सकती है। हालाँकि, यह केवल खुदरा खरीद पर लागू होता है और यदि पिछले माह की शेष राशि पूरी तरह से चुका दी गई हो। एटीएम से नकदी आहरण (नकद अग्रिम) हेतु कोई ब्याज-मुक्त ग्रेस अवधि नहीं है।

वित्त प्रभार

यदि न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का भुगतान देय तिथि तक किया जाता है	2.50% प्रति माह / 30% वार्षिक आधार पर
यदि न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है	2.95% प्रति माह / 35.4% वार्षिक आधार पर

वित्त प्रभार गणना (व्याख्यात्मक उदाहरण):



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

यदि कोई क्रेडिट कार्डधारक देय तिथि पर अपनी बकाया राशि का पूरा भुगतान न करने का विकल्प चुनता है, तो कार्डधारक के पास कोई ग्रेस अवधि नहीं होगी और मासिक ब्याज दर पर वित्त प्रभार देय होगा।

नकद आहरण (नकद अग्रिम) हेतु, कोई ग्रेस अवधि नहीं है और आहरण की तिथि से ब्याज देय है।

उदाहरण :

प्रत्येक माह की 25वीं तारीख को बिलिंग तिथि मानते हुए

लेन-देन की अवधि: 25 अगस्त, 22 से 24 सितंबर, 22

बिलिंग तिथि: 25 सितंबर, 22 और देय तिथि: 15 अक्टूबर, 22 (बिलिंग तिथि के 20 दिन बाद)

लेन-देन की तिथि	लेन-देन विवरण	राशि
30-08-2022	किराना	5000 Dr
10-09-2022	ई-कॉम	10000 Dr

यह मानते हुए कि 25 अगस्त, 22 से कोई पिछली शेष राशि आगे नहीं बढ़ाई गई है, 25 सितंबर, 22 को जनरेट की गयी विवरणी रु. 15000/- की बकाया राशि दर्शाती है। एमएडी @ 5% के हिसाब से रु.750/- होगा, जिसकी देय तिथि 15 अक्टूबर, 22 होगी।

1. यदि रु. 15,000/- की पूरी बकाया राशि का भुगतान देय तिथि अर्थात 15 अक्टूबर, 22 को या उससे पहले कर दिया जाता है, तो कोई वित्त प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

2. यदि एमएडी का भुगतान देय तिथि को या उससे पहले किया गया है :

एमएडी रु. 750/- का भुगतान 15 अक्टूबर, 22 को किया गया, बैंक शेष राशि पर 2.50% प्रति माह की दर से वित्त प्रभार प्रभारित करेगा, अर्थात रु. 14,250/- पर एक माह हेतु 2.50%।

25 अक्टूबर, 22 को जनरेट किए गए विवरण में कुल बकाया राशि रु. 14,670.37 [अर्थात रु.14250 + रु. 356.25 ब्याज राशि + रु. 64.12 जीएसटी] और एमएडी रु.14,670.37/- पर 5% अर्थात रु.740/- (अगले 10 तक पूर्णांकित) देय होगा।

3. यदि एमएडी का भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले नहीं किया गया है:

बैंक कुल देय राशि पर 2.95% प्रति माह की दर से वित्त प्रभार प्रभारित करेगा, अर्थात रु. 15000 / - पर एक माह हेतु @ 2.95% और देर से भुगतान शुल्क रु. 200/- प्रभारित किया जाएगा।



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

25 अक्टूबर, 22 को जनरेट किए गए विवरण में कुल बकाया राशि रु. 15,758.15 [अर्थात रु. 15000 + रु. 442.50 ब्याज राशि + रु. 79.65 जीएसटी + रु. 200 विलंब शुल्क + रु. 36 जीएसटी] और एमएडी @ 5% रु.15,758.15 पर अर्थात रु.790/- (अगले 10 तक पूर्णांकित किया जाएगा)।

बी. आहरण सीमा

- बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर क्रेडिट सीमा और नकद अग्रिम सीमा का निर्धारण किया जाएगा और कार्डधारक को सूचित किया जाएगा।
- कार्डधारक हेतु उपलब्ध क्रेडिट सीमा किसी भी समय बकाया राशि और कार्डधारक द्वारा पूर्व में किए गए किसी भी लेन-देन, लेकिन उस तारीख को प्रसंस्करण हेतु बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, को ध्यान में रखने के बाद, क्रेडिट सीमा की अप्रयुक्त राशि होगी।
- बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर बैंक के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणित आय के आधार पर क्रेडिट सीमा/नकद अग्रिम सीमा में नवीकरण, वृद्धि/ कटौती पर विचार कर सकता है।
- क्रेडिट कार्ड रद्द करने पर कुल सीमा समाप्त हो जाएगी।
- कार्ड के सभी वेरिएंट्स हेतु नकद आहरण सीमा निम्नानुसार है।

वीज़ा गोल्ड	कार्ड सीमा का 20%
रूपे प्लेटिनम/ वीज़ा प्लेटिनम/ जेसीबी हेल्थ	कार्ड सीमा का 30%
रूपे सेलेक्ट / वीज़ा सिग्नेचर/ यूनियन यूनी-कार्बन / जेसीबी वेलनेस	कार्ड सीमा का 40%
यूनियन एमएसएमई/वीज़ा कॉर्पोरेट बिजनेस कार्ड	नकद निकासी की अनुमति नहीं है

सी. बिलिंग

क्रेडिट कार्ड विभाग द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख को कार्डधारक द्वारा प्रदान की गई पंजीकृत ई-मेल आईडी पर बिल भेजा जाएगा। कार्डधारकों को बिल भेजे जाते हैं बशर्ते (1) कार्ड में कोई लेन-देन हुआ हो (2) कार्ड में कोई बकाया राशि हो और (3) कार्ड में कोई क्रेडिट शेष हो।

- बिल राशि के भुगतान की देय तिथि अगले माह की 14^{वीं} /15^{वीं} तारीख अर्थात बिलिंग की तिथि से 20 दिन होगी।
- बिल के विवरण का पता लगाने हेतु, कार्डधारक 24x7 राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800 425 1515 या फोन नंबर 040-24683219/3210/3220 के माध्यम से या कार्यालय समय के दौरान बैंक से संपर्क कर सकते हैं।



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

- iii. बिल की गैर-प्राप्ति पर समझौते के तहत कार्डधारक के दायित्व या देयता की समाप्ति नहीं होगी। कार्डधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्ड के उपयोग/चार्ज स्लिप के आधार पर या उपरोक्त नंबरों पर बिल राशि की पूछताछ करके या मोबाइल ऐप (यूनियन क्रेडिट कार्ड ऐप/व्योम) के माध्यम से बिलों का निपटान करें।
- iv. **रोलओवर क्रेडिट सुविधा:** कार्डधारक बिल में दर्शाए अनुसार "न्यूनतम देय राशि" (MAD) का भुगतान करना विकल्प चुन सकता है। एमएडी कुल देय राशि का 5% है, न्यूनतम रु. 100/- एवं पिछले माह का बकाया एमएडी, यदि कोई हो, एवं माह के दौरान देय ईएमआई।
- v. यदि देय तिथि पर या उससे पहले केवल एमएडी का भुगतान किया जाता है, तो बकाया राशि को अगले माह में रोलओवर कर दिया जाएगा। रोलओवर शेष पर ऊपर दिए गए '**शुल्क और प्रभार**' शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित वित्त प्रभार प्रभारित किया जाएगा।
- vi. कार्डधारक कुल देय राशि या एमएडी या एमएडी और कुल देय राशि के बीच किसी भी राशि का भुगतान करने हेतु स्वतंत्र है।
- vii. ऐड-ऑन कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाली देयता की ज़िम्मेदारी केवल प्राथमिक कार्डधारक की होगी।
- viii. हर महीने केवल न्यूनतम राशि का भुगतान करने के परिणामस्वरूप बकाया शेष राशि पर परिणामी चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान के साथ चुकोती अवधि कई महीनों/वर्षों तक होगी।

भुगतान की विधि

- I. क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं के काउंटर पर नकद या चेक या किसी अन्य बैंक के चेक/डीडी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- II. ग्राहक अपने लिंकड सक्रिय खातों से "कुल बिल राशि" या "न्यूनतम देय राशि" के भुगतान हेतु स्थायी अनुदेश/ऑटो डेबिट के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। देय तिथि पर स्थायी अनुदेश को निष्पादित करने हेतु ऐसे सक्रिय खातों में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखा जाना चाहिए।
- III. वे कार्डधारक जिन्होंने इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का विकल्प चुना है, वे <https://www.unionbankonline.co.in> पर लॉग इन कर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- IV. क्रेडिट कार्डधारक किसी अन्य बैंक से एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। ऐसे कार्डधारकों को क्रेडिट कार्ड नंबर के साथ अपने बैंक को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा :

लाभार्थी बैंक का नाम	: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
शाखा का नाम	: क्रेडिट कार्ड और एमएबी विभाग
आईएफएससी कोड	: UBIN0807826
लाभार्थी का खाता संख्या	: 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर
लाभार्थी का नाम	: यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड और एमएबी विभाग
प्रेषक की जानकारी	: मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी

भुगतान यूपीआई और पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी किया जा सकता है।



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

यूपीआई के माध्यम से भुगतान हेतु आभासी भुगतान पता (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस - वीपीए) निम्नलिखित वाक्य-रचना के अनुसार होगा:

cc<XXXXXXXX>@ubicard; जहां <xxxxxxxx> क्रेडिट कार्ड ग्राहक आईडी है।

- V. चेक के अनादरण की स्थिति में या यदि अपर्याप्त शेष राशि के कारण या किसी अन्य कारण से स्थायी अनुदेश निष्पादित नहीं किया जाता है, तो बैंक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत लागू चेक वापसी प्रभार और सेवा प्रभार के अतिरिक्त उचित कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- VI. कार्डधारक द्वारा मासिक बिल के अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान करने की स्थिति में, कार्डधारक क्रेडिट शेष पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा। इस राशि को अगले मासिक बिल में देय राशि के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।
- VII. कार्डधारकों से अनुरोध है कि पता, पंजीकृत मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर या ई-मेल आईडी में परिवर्तन के मामले में, प्रभावी संचार हेतु बैंक को परिवर्तन के बारे में तत्काल सूचित करें।
- VIII. बिलिंग विवाद: मासिक बिल की सभी सामग्री सही और कार्डधारक द्वारा स्वीकृत मानी जाएगी, जब तक कि कार्डधारक बैंक को किसी भी विसंगति के बारे में बिल की देय तिथि से पूर्व सूचित नहीं करता है। लिखित शिकायत प्राप्त होने पर बैंक वीजा/एनपीसीआई विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार विधिवत जांच करेगा और किसी भी वास्तविक विसंगति के मामले में सुधार करेगा।

कार्डधारक किसी भी प्रकार की पूछताछ करने या शिकायत निवारण हेतु निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकता है:

- 1) 24x7 टोल फ्री नंबर: 1800-425-1515
- 2) 040-24683210/3219/3220 (कार्यालय समय के दौरान ग्राहक सेवा अधिकारी से)
- 3) ई-मेल के माध्यम से: ccdhelpdesk@unionbankofindia.bank
- 4) यदि कार्डधारक को उचित समय के भीतर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो कार्डधारक क्रेडिट कार्ड और एमएबी विभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक बिल्डिंग, सुल्तान बाजार, हैदराबाद में फोन नंबर 040-24683209 पर कॉल करके या ई-मेल आईडी : ccd.grievances@unionbankofindia.bank पर ईमेल भेजकर क्रेडिट कार्ड और एमएबी विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

डी. चूक के मामले में

किसी भी कार्डधारक को चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करने से पहले, बैंक द्वारा ऐसे कार्डधारक को चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करने के इरादे के बारे में सूचित करते हुए सात दिन की नोटिस अवधि जारी की जाएगी।

यदि कार्डधारक चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद, बकाया राशि का निपटान करता है, तो



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

बैंक बकाया राशि के निपटान की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्थिति को अद्यतन करेगा।

विशेष उल्लेख खाते (एसएमए)

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में उप-आस्ति श्रेणियों के अनुसार तनाव खातों की पहचान करना आवश्यक है।

एसएमए को मूलधन या ब्याज भुगतान या किसी अन्य राशि के पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है : -

एसएमए 0 (भुगतान देय तिथि से 30 दिनों तक)

एसएमए 1 (भुगतान देय तिथि से 30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक)

एसएमए 2 (भुगतान देय तिथि से 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक)

गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए)

यदि एमएडी का भुगतान देय तिथि से नब्बे (90) दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, जैसा कि विवरण में उल्लेख किया गया है, तो क्रेडिट कार्ड खाते को एनपीए माना जाएगा।

भुगतान चूक के मामले में, कार्डधारकों को टेलीफोन, एसएमएस, ई-मेल द्वारा समय-समय पर कार्ड खाते में बकाया राशि के भुगतान हेतु अनुस्मारक भेजे जाते हैं। बैंक कर्मचारी और या तृतीय पक्ष कार्डधारक को व्यक्तिगत रूप से याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने और देय राशि वसूल करने हेतु उनसे संपर्क करेंगे। इस प्रकार नियुक्त कोई भी तृतीय पक्ष, ऋणदाताओं हेतु उचित व्यवहार संहिता का पूरी तरह से पालन करेगा। चूक की स्थिति में कार्डधारक/कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में चूक की स्थिति मानी जाएगी और बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा को वापस ले सकता है।

- कार्डधारक निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
- क्रेडिट कार्ड आवेदन/अनुबंध के अनुसार कार्डधारक अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।
- कार्डधारक द्वारा किया गया कोई भी अभ्यावेदन, जिसमें आय और/या बैंक को प्रस्तुत किए गए फोटो और पते के पहचान दस्तावेज शामिल हैं, परंतु केवल इन तक ही सीमित नहीं है, यदि गलत, झूठा या अधूरा साबित होता है।
- यदि न्यूनतम देय राशि या कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो क्रेडिट कार्डधारक की चूक स्थिति की रिपोर्ट सिबिल या आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी को दी जाएगी।
- बैंक की पूर्ण संतुष्टि हेतु कार्डधारक द्वारा बकाया राशि का निपटान करने की स्थिति में, बकाया राशि के पूर्ण निपटान की तारीख से 30 दिनों के भीतर चूक स्थिति की रिपोर्ट वापस ले ली जाएगी।



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

- कार्डधारक की मृत्यु के मामले में, बैंक कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।

बीमा कवरेज

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज क्रेडिट कार्डधारकों हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपलब्ध है, जिसका प्रीमियम केवल कार्डधारकों द्वारा वहन किया जाना है।

क्र.सं.	वेरिएंट	दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज (रु.)
1	वीज़ा गोल्ड / वीज़ा क्लासिक	5,00,000
2	वीज़ा प्लेटिनम	10,00,000
3	वीज़ा बिजनेस प्लेटिनम	शून्य
4	वीज़ा सिग्नेचर	30,00,000
5	रुपे प्लेटिनम	10,00,000
6	यूनियन यूनी-कार्बन (रुपे प्लेटिनम वेरिएंट)	10,00,000
7	रुपे सेलेक्ट	30,00,000

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्तमान में एनपीसीआई रुपे कार्डधारकों हेतु निम्नलिखित मुफ्त दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज की पेशकश कर रहा है अर्थात् प्राथमिक और ऐड-ऑन कार्ड हेतु प्रीमियम एनपीसीआई द्वारा वहन किया जाएगा।

क्र.सं.	वेरिएंट	दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज (रु।)
1	रुपे प्लेटिनम	2,00,000
2	यूनियन यूनी-कार्बन (रुपे प्लेटिनम वेरिएंट)	10,00,000
3	रुपे सेलेक्ट	10,00,000

पॉलिसी प्रदाता सहित बीमा राशि, प्रीमियम, पॉलिसी अवधि समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। नवीनतम विवरण हेतु कृपया हमारी क्रेडिट कार्ड वेबसाइट <https://unioncards.unionbankofindia.co.in/> देखें।

दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज और देय प्रीमियम का विवरण:

- दावे के निपटान की स्थिति में, बैंक अपने विवेक पर, कार्ड खाते में कार्डधारक की अपनी सभी बकाया देनदारियों और मृतक कार्डधारक से संबंधित किसी भी अन्य ऋण और अग्रिम हेतु पहले बीमा दावे की आय को समायोजित करेगा।
- बैंक बीमा दावों के निपटान में केवल एक सुविधादाता है और कोई भी दावा निपटान, पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी के विवेक पर है। दावे के निपटान में कोई भी विवाद



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, जो भी हो, बीमा कंपनी के विवेक पर है और बैंक इस मामले में कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं लेता है।

- iii. क्रेडिट कार्ड के सक्रिय होने की तारीख को बैंक क्रेडिट कार्डधारकों के खाते से प्रीमियम डेबिट करेगा और इसलिए, कार्डधारक को क्रेडिट कार्डधारकों के खाते से प्रीमियम डेबिट होने की तारीख से कवर किया जाएगा।
- iv. प्रदान किया गया दुर्घटना बीमा कवर कार्डधारक को तभी तक उपलब्ध होगा, जब तक कार्डधारक बैंक का कार्डधारक बना रहता है और उसका कार्ड खाता "सक्रिय" स्थिति में रहता है।
- v. रुपये वेरिफाई हेतु, एनपीसीआई द्वारा पेश किए गए बीमा कवरेज का दावा करने हेतु पात्र होने के लिए, कार्डधारक को किसी भी पीओएस / ई-कॉम, दोनों अंतर्बैंक (बैंक में) और अंतर-बैंक (बैंक के बाहर) अर्थात् ऑन-अस या ऑफ-अस कम से कम एक सफल रुपये कार्ड प्रेरित वित्तीय लेनदेन रूपे कार्डधारक की दुर्घटना तिथि सहित दुर्घटना की तिथि से 30 दिन पहले करना चाहिए।
- vi. इच्छुक कार्डधारक, स्पष्ट रूप से लिखित रूप में या डिजिटल माध्यम में नामिती व्यक्ति का विवरण अर्थात् नामिती का नाम, नामिती की आयु और कार्डधारक के साथ संबंध, प्रदान करते हुए दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज का चयन कर ऐसा सकते हैं।

ई. समाप्ति (टर्मिनेशन) / निरसन (रिवोकेशन)

- i. कार्डधारक किसी भी समय बैंक को लिखित रूप से या समर्पित ई-मेल आईडी, आईवीआरएस या एसएमएस के माध्यम से सूचित करके करार को समाप्त (टर्मिनेट) करने हेतु स्वतंत्र है। कार्ड खाते में कुल देय राशि के भुगतान के बाद ही समाप्ति (टर्मिनेशन) प्रभावी होगी।
- ii. क्रेडिट कार्ड रद्द करने हेतु, कार्डधारक हमारी वेबसाइट <https://unioncards.unionbankofindia.co.in/> पर भी जा सकते हैं।
- iii. कार्डधारक की मृत्यु या दिवालिया होने पर करार समाप्त (टर्मिनेट) हो जाएगा और कार्डधारक की मृत्यु या दिवालिया होने पर बैंक कार्ड की पूरी बकाया राशि तत्काल वसूलने का हकदार होगा।
- iv. बैंक अपने विवेक से किसी भी समय करार को समाप्त (टर्मिनेट) कर सकता है और बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है। हालांकि, कार्डधारक को ऐसी कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।
- v. कार्ड की समाप्ति (टर्मिनेशन) या रद्दीकरण से पहले प्राथमिक कार्ड/एड-ऑन कार्ड का उपयोग करने पर लगने वाले सभी प्रभारों हेतु कार्डधारक उत्तरदायी होगा।
- vi. यदि एक वर्ष से अधिक की अवधि हेतु क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया गया है, तो कार्डधारक को सूचित करने के बाद कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यदि 30



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कार्ड खाता बंद कर दिया जाता है, बशर्ते कार्डधारक द्वारा समस्त देय राशि का भुगतान किया जाए।

एफ़. कार्ड का खोना/चोरी होना/दुरुपयोग होना:

- i. कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, कार्डधारक को तुरंत फोन या ई-मेल/एसएमएस/ मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक को सूचित करना चाहिए।

टेलीफ़ोन	24x7 राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर -1800 425 1515 या फोन नंबर 040-24683210 या 24683220
ईमेल	ccdhelpdesk@unionbankofindia.bank
एसएमएस	पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7836884400 पर निम्नानुसार भेजें : - CARDLOST<स्पेस>XXXX (जहाँ XXXX क्रेडिट कार्ड नंबर के अंतिम 4 अंक दर्शाता है)

- ii. कार्डधारक को पुलिस में एक शिकायत/प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करनी चाहिए और उसकी एक प्रति बैंक को आवेदन / सूचना के साथ संलग्न करनी चाहिए।
- iii. बैंक को सूचना/संचार प्राप्त होने तक, कार्डधारक सभी लेनदेनों, कार्ड पर लगने वाले प्रभारों हेतु उत्तरदायी है।
- iv. यदि कार्डधारक के पास यह मानने का कोई कारण है कि उसे कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, या उसके कार्ड का अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कार्डधारक को तत्काल इसकी सूचना लिखित रूप में बैंक को देनी चाहिए।
- v. कार्डधारक उन मामलों में संपूर्ण नुकसान को वहन करेगा जहां कार्डधारक की लापरवाही के कारण नुकसान हुआ है, उदाहरणार्थ कार्डधारक ने भुगतान क्रेडेंशियल या खाता/ लेनदेन विवरण साझा किया है, अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पिन, क्रेडिट कार्ड पिन/ ओटीपी या ग्राहक उपकरणों पर अनुचित सुरक्षा के कारण जैसे मोबाइल/ लैपटॉप/ डेस्कटॉप पर मालवेयर/ ट्रोजन या फिशिंग/ विशिंग अटैक होता है। यह धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा सिम निष्क्रिय करने के कारण भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में, कार्डधारक पूरे नुकसान को वहन करेगा, जब तक कि कार्डधारक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना नहीं दे देता।
- vi. किसी भी विवादित लेनदेन की जांच की स्थिति में कार्डधारक को बैंक/विधि-प्रवर्तन प्राधिकरण के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

जी. शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति फ्रेमवर्क

कार्डधारक किसी भी प्रकार की पूछताछ करने या शिकायत निवारण हेतु निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकता है:



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

- i. 24x7 टोल फ्री नंबर: 1800-425-1515
- ii. 040-24683210/3219/3220 (कार्यालय समय के दौरान ग्राहक सेवा अधिकारी से)
- iii. ccdhelpdesk@unionbankofindia.bank पर ई-मेल के माध्यम से
- iv. क्रेडिट कार्ड और एमएबी विभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुल्तान बाज़ार, कोटी, हैदराबाद - 500095, तेलंगाना, भारत।
- v. यदि कार्डधारक को उचित समय के भीतर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो कार्डधारक क्रेडिट कार्ड और एमएबी विभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुल्तान बाजार, कोटी, हैदराबाद के शिकायत निवारण अधिकारी से फोन नंबर 040-24683209 पर संपर्क कर सकता है या ccd.grievances@unionbankofindia.bank पर ई-मेल भेज सकता है

बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी के कारण ग्राहकों को होने वाले ऐसे वित्तीय नुकसान जिसे सीधे तौर पर मापा जा सकता है, के संबंध में बैंक, क्षतिपूर्ति नीति, शिकायत निवारण नीति और ग्राहक अधिकार नीति द्वारा निर्देशित होगा। क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार प्रतिबद्धता किसी भी अधिकार के प्रति पक्षपात के बिना है, बैंकर-ग्राहक विवादों के न्यायनिर्णय हेतु विधिवत गठित किसी भी फोरम के समक्ष बैंक द्वारा अपनी स्थिति का बचाव किया जाएगा।

एच. प्रकटीकरण

- i. आवेदक स्पष्ट रूप से बैंक को निम्नानुसार प्राधिकृत करता है
"समय-समय पर मेरे/हमारे कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी जिसमें किसी अन्य कार्ड जारीकर्ता, सिबिल या किसी क्रेडिट सूचना ब्यूरो, वित्तीय संस्थान, सहायक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी या संबद्ध को कोई चूक या भुगतान शामिल है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विपणन, सत्यापन, कार्ड की बकाया राशि की वसूली या अनुवर्ती कार्रवाई जैसे उद्देश्यों हेतु किसी भी तृतीय पक्ष को और वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता और स्थिरता में सुधार करने के लिए खुलासा करने हेतु।"

आई. दायित्व का अपवर्जन

पूर्वगामी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कार्डधारक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा -

- क) क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदी गयी किसी भी वस्तु या सेवाओं में कोई दोष।
- ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करना या अस्वीकार करना।
- ग) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा टर्मिनल या किसी कंप्यूटर टर्मिनल/उपकरण या संचार नेटवर्क की खराबी।
- घ) कार्डधारक के अलावा अन्य के द्वारा दिया गया लेनदेन निर्देश।



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

- ड) कार्ड को वापस करने का अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कोई कार्य।
- च) कार्ड और कार्ड संबंधी जानकारी जैसे कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, कार्ड के पीछे की ओर उल्लिखित 3 अंकों का सीवीवी नंबर या कार्डधारक द्वारा वन टाइम पिन (ओटीपी) के तहत बनाया गया पिन या पासवर्ड दूसरों को देना।
- छ) बैंक कार्ड पर अंकित समाप्ति तिथि से पहले कार्ड के अभ्यर्पण की मांग करने और प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो बैंक या किसी व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैचर टर्मिनल (ईडीसी या पीएस) या कंप्यूटर टर्मिनल या एटीएम द्वारा किया जाए।
- ज) किसी भी कार्ड को समाप्त (टर्मिनेट) करने के लिए बैंक द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग।
- झ) कार्ड के पुनः अधिकार के कारण और इसकी वापसी के किसी भी अनुरोध के कारण या किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान/एटीएम/वेबसाइट या मेल ऑर्डर, या किसी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का आदर या स्वीकार करने से मना करने के कारण कार्डधारक के क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को किसी क्षति का आरोप लगाया जाना।
- ञ) समय-समय पर जारी किए गए फेमा नियमों या आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा पात्रता से अधिक होने या कार्डधारक के उसकी सीमा या पात्रता आदि से अधिक बढ़ जाने के बारे में बैंक को जानकारी होने के कारण प्रभार की अस्वीकृति।
- ट) कार्डधारक से बकाया देय राशि की मांग या बकाया देय राशि के निपटान का दावा या तो बैंक द्वारा या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने की स्थिति में कार्डधारक सहमति देगा और स्वीकार करेगा कि ऐसी मांग या दावा मानहानि के समान नहीं होगा या किसी भी तरीके से कार्डधारक के चरित्र के लिए हानिकारी या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होगा।
- ठ) किसी भी देश में वीज़ा / एनपीसीआई कंसीयज सेवाओं या वीज़ा / एनपीसीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवाओं या व्यापारियों द्वारा समय-समय पर किसी भी योजना के तहत पेश की जाने वाली या की जा सकने वाली किसी भी छूट या कैश बैंक या किसी भी व्यापारी लाभ हेतु बैंक कहीं जिम्मेदार नहीं है।
- ड) कार्ड के गलत विवरण के साथ सत्यापन करने पर प्रमाणीकरण में दोष के कारण कंप्यूटर सिस्टम या संचार नेटवर्क द्वारा किसी भी ऑनलाइन लेन-देन प्राधिकरण पर अस्वीकार करना।

जे. ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ का अधिकार:

- i. बैंक के पास कार्डधारक और/या एड-ऑन कार्डधारक के किसी भी खाते में जमा राशि, चाहे वह बैंक के पास हो या बैंक के कब्जे या अभिरक्षा में हो, से संबंधित सभी राशियों को, ऋण/देयता की अवधि पर ध्यान दिए बिना ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ करने का अधिकार सुरक्षित है।



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

- ii. बैंक की आंतरिक नीति या वैधानिक या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/संशोधित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
- iii. समय-समय पर किए गए ऐसे परिवर्तन मासिक बिल द्वारा या एसएमएस के द्वारा या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और यह परिवर्तन कार्डधारक पर बाध्यकारी होंगे।
- iv. कॉर्पोरेट कार्ड के मामले में, बकाया शेष राशि हेतु कंपनी पूर्णतः उत्तरदायी है। बैंक के पास कंपनी के खातों में पड़ी शेष राशि, जो भी बैंक के पास हैं / प्रतिभूतियाँ जो बैंक के कब्जे या अभिरक्षा में हैं, का ग्रहणाधिकार/ सेट-ऑफ करने का अधिकार सुरक्षित है।

के. विविध:

- i. कार्ड जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा कार्ड सक्रिय किया जाना चाहिए, ऐसा न करने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा।
- ii. ग्रीन पिन जनरेट करने हेतु कार्डधारक बैंक की वेबसाइट <https://unioncards.unionbankofindia.co.in/> या यूनियन क्रेडिट कार्ड ऐप/व्योम का उपयोग कर सकते हैं।
- iii. कार्डधारक को लेनदेन अलर्ट प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर और ई-मेल पता देना चाहिए। ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर में किसी भी तरह के बदलाव की सूचना, तत्काल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा से संपर्क कर दी जानी चाहिए। बैंक के साथ कोई भी पत्राचार या संचार केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी से ही किया जाना चाहिए।
- iv. कार्डधारक यूनियन क्रेडिट कार्ड ऐप/व्योम के माध्यम से अपनी समग्र क्रेडिट कार्ड सीमा के भीतर उप-सीमाएं निर्धारित कर सकता है, अर्थात् घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन हेतु ई-कॉम, पीओएस, एटीएम लिमिट।
- v. कार्डधारक को किसी भी अलर्ट की प्राप्ति पर, जो उससे संबंधित नहीं है, जो धोखाधड़ी लेनदेन / कार्ड के दुरुपयोग के कारण संदिग्ध प्रकृति का हो सकता है, तुरंत बैंक को (24x7 टोल फ्री नंबर 1800 425 1515) सूचित करना चाहिए।
- vi. कार्डधारक को केवल प्रतिष्ठित व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग करना चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्किमिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए कार्ड स्वाइप उनकी उपस्थिति में ही किया जाए। कार्ड डेटा के दुरुपयोग या हैकिंग से बचने के लिए किसी भी प्रकार का ऑनलाइन लेनदेन केवल सुरक्षित वेबसाइट (<https://> वाली वेबसाइट) में ही किया जाना चाहिए।
- vii. जब भी कार्डधारक कोई ऑनलाइन लेनदेन करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेनदेन 2 फ़ैक्टर प्रमाणीकरण (2FA) के साथ किया गया है। यदि वेबसाइट अतिरिक्त पासवर्ड प्रमाणीकरण हेतु संकेत नहीं दे रही है, तो कार्डधारक को इस संबंध में सभी कृत्यों और भुगतानों



अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी)

हेतु जिम्मेदार माना जाएगा। इसके बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद की स्थिति में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

- viii. कार्डधारक को ऐसे फ़िशिंग ई-मेल से सावधान रहना चाहिए जो कार्ड विवरण, समाप्ति तिथि, सीवीवी नंबर या 2 फ़ैक्टर प्रमाणीकरण पासवर्ड या ओटीपी की मांग करते हैं।
- ix. ऊपर उल्लिखित नियम और शर्तों के अतिरिक्त, बैंक कार्डधारकों को उचित सूचना देते हुए, समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क में परिवर्तन करने या किसी भी नए प्रभार या शुल्क को लागू करने, जैसा उचित समझे, का अधिकार रखता है।

